कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक– रा०त०नि०का० / 2019–20 / 8279-8298 दिनांक 23.11.2019

सेवा में,

1. निदेशक,
   एस.आर.टी. कैम्पस बादशाहीथौल,
   टिहरी गढ़वाल।
2. निदेशक,
   टिहरी हाइड्रो इजिनीयरिंग कॉलेज बी०पूरम,टि०ग०।
3. समस्त प्राचार्य, स्नातक / स्नातकोत्तर महाविद्यालय
   नई टिहरी, बालगंगा सेन्दुल घनसाली,देवप्रयाग,नैनबाग
   अगरोड़ा,लम्बगॉव,चन्द्रबदनी,पौखाल,पोखरी (गजा), नरेन्द्रनगर। टिहरी गढ़वाल।
4. अभिहित अधिकारी खाद्य संरक्षा
   टिहरी गढ़वाल।
5. प्राचार्य, राजकीय पौलिटेक्नीक
   नई टिहरी, चम्बा, नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल।
6. मुख्य शिक्षाधिकारी
   नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।
7. पंचायती राज अधिकारी
   नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।
8. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका टिहरी।
9. प्राचार्य, औधोगिक प्रशिक्षण
   नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

विषयः– E-CIGARETTES (ELECTRONIC NICOTINE DILIVERY SYSTEMS) को प्रतिबन्धित किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश, 2019 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव (प्रभारी) चिकित्सा विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्रांक संख्या–798 / XXVIII –3–2019–19 / 2017 दिनांक 22 अक्टूबर 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक–सिगरेट को प्रतिबंध किये जाने हेतु प्रख्यापित इलेक्ट्रॉनिक–सिगरेट का निषेध (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) अध्यादेश, 2019 के आलोक में राज्य में ई–सिगरेट **(ELECTRONIC NICOTINE DILIVERY SYSTEMS)** तथा अन्य समान तकनीक, जिन्हे किसी भी नाम से सम्बोधित किया जाता है तथा जिसमें निकोटीन का प्रयोग होता है, उनके उत्पादन, विर्निर्माण, आयात निर्यात, बिक्री (ऑनलाईन बिक्री) तथा वितरण को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।

अतः शासन से प्राप्त उक्त निर्देशानुसार **E-CIGARETTES (ELECTRONIC NICOTINE DILIVERY SYSTEMS)** को अपने जनपद में तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। साथ ही कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये।

संलग्न–यथोपरि।

मुख्य चिकित्साधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक– रा0त0नि0का0/2019–20/8299–8303 उक्त दिनांक।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव प्रभारी, चिकित्सा विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढ़वाल।
4. निदेशक, (एन0एच0एम0) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम उत्तराखण्ड देहरादून।

मुख्य चिकित्साधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक– रा०त०नि०का० / 2019–20 / .... दिनांक 21.01.2020

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
एन०सी०डी० / एन०टी०सी०पी० उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः– **E-CIGARTTES (ELECTRONIC NICOTINE DILIVERY SYSTEMS) को प्रतिबन्धित किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश, 2019 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या–UKHFWS / NHM / NCD / 2016 / NTCP COTPA 2003 / 2693 दिनांक 18.01.2020 के क्रम में अवगत कराना है कि सचिव प्रभारी चिकित्सा विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्रांक संख्या–798 / XXVIII –3–2019–19 / 2017 दिनांक 22 अक्टूबर 2019 के अवलोकन के उपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी टिहरी गढ़वाल के पत्र सं०–रा०त०नि०का० / 2019–20 / 8279–8298 दिनांक 23.11.2019 **(पत्र संलग्न)** एवं तम्बाकू नियन्त्रण टीम के द्वारा भी जनपद के प्रतिष्ठानो एवं विद्यालयों के 100 गज के दायरे में संचालित प्रतिष्ठानो में भ्रमण / निरीक्षण कर इलेक्ट्रॉनिक–सिगरेट को प्रतिबंध किये जाने हेतु प्रख्यापित इलेक्ट्रॉनिक–सिगरेट का निषेध (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) अध्यादेश, 2019 के आलोक में राज्य में ई–सिगरेट **(ELECTRONIC NICOTINE DILIVERY SYSTEMS)** तथा अन्य समान तकनीक, जिन्हे किसी भी नाम से सम्बोधित किया जाता है तथा जिसमें निकोटीन का प्रयोग होता है, उनके उत्पादन, विर्निर्माण, आयात निर्यात, बिक्री (ऑनलाईन बिक्री) तथा वितरण को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किये जाने हेतु अवगत कराया गया है। उपरोक्त विषयान्तर्गत कृत कार्यवाही द्वारा स्नातक / स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी, (गजा) पोखरी एवं अगरोड़ा टिहरी गढ़वाल द्वारा अवगत कराया गया है। अन्य विद्यालयो / महाविद्यालयो / कार्यालयो को पुनः E-CIGARTTES (ELECTRONIC NICOTINE DILIVERY SYSTEMS) को प्रतिबन्धित किये जाने हेतु अवगत कराया जा रहा है।

अतः उक्त पत्र आपकी सेवा मे सादर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य चिकित्साधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक– रा०त०नि०का० / 2019–20 / .... उक्त दिनांक।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढ़वाल।
3. मिशन निदेशक, (एन०एच०एम०) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. प्रभारी अधिकारी, एन०सी०डी० / एन०टी०सी०पी० उत्तराखण्ड देहरादून।

मुख्य चिकित्साधिकारी
टिहरी गढ़वाल।